सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

मैनुअल—7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है

ARRANGEMENT THAT EXISTS FOR CONSULTATION WITH, OR REPRESENTATION BY, THE MEMBERS OF THE PUBLIC IN RELATION TO THE FORMULATION OF ITS POLICY OR IMPLEMENTATION THEREOF

विषय सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
7	**मैनुअल–7 किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है**	**01–06**
7.1	लोक प्राधिकरण नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या नप्रतिनिधि की परामर्श/भागीदारी का प्राविधान	03–06

7.1 लोक प्राधिकरण नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि की परामर्श/भागीदारी का प्रावधान :–

क्रमांक	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय मे जनता की भागीदारी अनिवार्य है	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था
1–	योजनाओ के क्रियान्वयन 1– नयी संस्थाओ की स्थापना (अ) पशु सेवा केन्द्र	जनता की भागीदारी अनिवार्य है क्योकि जब तक जनता से किसी संस्था की स्थापना हेतु परामर्श न किया जायें किसी संस्था के सृजन करने मे व्यवहारिक रूप से अडचने पैदा होती है। अपर निदेशक, निदेशक एवं शासन को सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराया जाना एवं इसका अनुश्रवण कराया जाना।	1– न्याय पंचायत स्तर पर स्थान के चयन के सम्बन्ध में न्याय पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, तथा सम्बन्धित क्षेत्र में कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारी की एक सम्बन्धित समिति गठित कर उपयुक्त स्थान का चयन किया जाना एवं चयन के उपरान्त जिला नियोजन समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मु0प0चि0अ0 को प्रस्तुत किया जाना।
	(ब) नये चिकित्सालय के सम्बन्ध में	स्थान विशेष की आवश्यकता को देखते हुये जन प्रतिनिधियों, मा0 विधान सभा सदस्य, संसद सदस्य के परामर्श के अनुसार सहभागिता की आवश्यकता है। अपर निदेशक, निदेशक एवं शासन को सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराया जाना एवं इसका अनुश्रवण कराया जाना।	सम्बन्धित क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र समिति, खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड के अन्तर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी की एक समन्वय समिति गठित कर उपयुक्त स्थान का चयन कर प्रस्ताव मु0प0चि0अ0 को प्रस्तुत किया जाना।
2–	2– भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन	सम्बन्धित क्षेत्र के ग्राम प्रधान, न्याय पंचायत सदस्य तथा पशु चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, की एक संयुक्त समिति गठित होगी जो भूमि का चयन कर भूमि अधिकरण सम्बन्धि कार्यवाही जनता की सहभागिता से सुनिश्चित करेगी। अपर निदेशक, निदेशक, एवं शासन को सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराया जाना एवं इसका अनुश्रवण कराया जाना।	न्याय पंचायत स्तर पर समन्वय समिति गठित किया जाना मु0प0चि0अ0 को सूचित कर निर्माण के आंगणन तैयार करने हेतु निर्माणदायी विभाग से सर्म्प करेगी एवं आंगणन प्राकलन मु0प0चि0अ0 को प्रस्तुत करने हेतु सहयोग प्रदान करेगी।
3–	3– चयनित भूमि को विभाग के नाम पंजीकृत किया जाना	ग्राम प्रधान एवं न्याय पंचायत सदस्य की सहभागिता आवश्यक है। अपर निदेशक, निदेशकएवं शासन को सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराया जाना एवं इसका अनुश्रवण कराया जाना।	क्षेत्र पटवारी, तहसीलदार एवं परगना अधिकारी की संस्तुति के आधार पर भूमि का पंजीकरण किया जाना तथा भूमि का दाखला विभाग के नाम खारीज कराना।
4–	4– उन्नत शील प्रजनन योंग्य सांडो, मेढों का वितरण	जनता की भागीदारी आवश्यक है जिनकी सहमति के आधार पर इच्छुक व्यक्ति का चयन किया जाना आवश्यक है। अपर निदेशक, निदेशक एवं शासन को सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराया जाना एवं इसका अनुश्रवण कराया जाना।	न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत प0प्र0अ0, ग्राम प्रधान, खण्ड विकास अधिकारी एवं प0चि0अ0 एक समन्वय समिति लाभार्थियो के चयन हेतु गठित किया जाना।

5—	5— पशुओं मे विभिन्न महामारियों के रोकथाम हेतु टीकाकरण, चिकिंत्सा आदि व्यवस्था हेतु क्षेत्र मे कार्यरत प0प्र0अ0 से सर्म्प किया जाना तथा बीमारी के रोकथाम हेतु अविलम्ब पशुचिकित्साअधिकारियो की टीम को गठित करना व ग्राम प्रधान को सूचित करना तथा बीमारियों के विसरा पोस्टमार्टम के उपरान्त गहन जॉच हेतु प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु भेजना एवं परीक्षण की सूचना प्राप्त होने पर निर्देशो को प0चि0अ0 एवं ग्राम प्रधानों को बताकर आवश्यक निर्देश देना	जनता की सहभागिता की आवश्यकता है । अपर निदेशक, निदेशक एवं शासन को सम्पूर्ण स्थितिसे अवगत कराया जाना एवं इसका अनुश्रवण कराया जाना।	न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत प0प्र0अ0, ग्राम प्रधान, की सहमति एवं सहयोग के आधार पर।
6—	6—अनुसूचित जाति/जनजाति एवं निर्बल वर्ग के उत्थान हेतु बैकयार्ड कुक्कुट इकाई, गौ पालन, बकरी पालन एवं भेड़ पालन इकाई की स्थापना	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति एवं निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के चयन हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के न्याय पंचायत सदस्य, प्रमुख क्षेत्र पंचायत की सहभागिता की अनिर्वायता होगी ताकि योजना का स्वरूप उपयुक्त व्यक्ति को ही पहुंच सके इसमें सम्बन्धित क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी को लाभार्थी के चयन हेतु सहयोग दिया जाना है। अपर निदेशक, निदेशक एवं शासन को सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराया जाना एवं इसका अनुश्रवण कराया जाना।	ग्राम प्रधान, पशुधन प्रसार अधिकारी, पशुचिकित्साधिकारी खण्ड विकास अधिकारी प्रमुख क्षेत्र पंचायत की एक समन्वय समिति गठित होगी जिसकी सूची जिला स्तरीय अनुमोदन समिति के अनुमोदन हेतु प्रेषित की जानी होगी।
7.	7—पशु पदर्शनी/गोष्ठियां/दूधारू पशुओं के बांझपन निवारण हेतु चिकित्सा शिविरों के आयोजन की व्यवस्था ।	जन सहभागिता, जन प्रतिनिधि के सहयोग की आवश्यकता होगी। एवं क्षेत्र में कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारी/पशुचिकित्सा धिकारी को संम्प करने पर सहयोग प्रदान करना होगा। अपर निदेशक, निदेशक एवं शासन को सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराया जाना एवं इसका अनुश्रवण कराया जाना।	न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारी, विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी, पशुचिकित्साधिकारी प्रमुख, क्षेत्र पंचायत की एक समिति गठित करनी आवश्यक होगी ।
8.	8—शीत कालीन/ग्रीष्म कालीन प्रवास में भेड़ो को आवश्यक उपचार सुविधा की व्यवस्था ।	जनसहभागिता की आवश्यकता होगी। अपर निदेशक, निदेशक एवं शासन को सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराया जाना एवं इसका अनुश्रवण कराया जाना।	क्षेत्र मे कार्यरत पशुचिकित्साधिकारी द्वारा चिकित्सा दल का गठन किया जायेगा।
9.	9—दैवीय आपदा से प्रभावित पशुपालको को सहयेाग प्रदान किया जाना	दैवीय आपदा से पीडित पशुओं के उपचार की व्यवस्था के लिए जनसहभागिता सुनिश्चित करते हुये क्षेत्र में कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा पशुचिकित्साधिकारी को औषधि, वैक्सीन चारा आदि की मांग	प्रभावित पशुपालकों को दैवीय आपदा के निवारण हेतु एक समिति विकास खण्ड स्तर पर पशुचिकित्साधिकारी खण्ड विकास अधिकारी तथा प्रमुख क्षेत्र पंचायतके

		प्रस्तुत करना एवं इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था के लिए शासनस्तर पर जनप्रतिनिधि की सहभागिता की आवश्यकता होगी। अपर निदेशक, निदेशक एवं शासन को सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराया जानाएवं इसका अनुश्रवण कराया जाना।	स्तर पर गठित होगी ।
10.	10–सघन वृक्षारोपण अभियान	जनसहभागिता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। अपर निदेशक, निदेशक एवं शासन को सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराया जाना एवं इसका अनुश्रवण कराया जाना।	क्षेत्र के समस्त प्रवासियों को वृक्षारोपण के सम्बन्ध में पशुधन प्रसार अधिकारी, पशुचिकित्साधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी को विस्तृत जानकारी देना।
11.	11–जिला योजना के अन्तर्गत समस्त कार्यक्रमों के कियान्वयन।	क्षेत्र के जनमान्य प्रतिनिधि से विस्तृत सुझाव लेते हुये जनप्रतिनिधि, क्षेत्र के विधायक, सांसद, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, की सहभागिता एवं शासन स्तर से योजनाओं के कियान्वयन के लिए यथा आवश्यकतानुसार समय पर उपलब्ध करानें हेतु सहयोग की आवश्यकता होगी । क्षेत्र एवं शासन को सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराया जाना एवं इसका अनुश्रवण कराया जाना।	योजना विषेश कार्यक्रम के कियान्वयन के लिए जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया जाना, जिनके माध्यम से योजनाओं को पारित किया जाता है एवं योजनाओं के अनुमोदन के लिए शासन के लिए संस्तुति की जाती है।
12	12–दुग्ध व्यवसायियों को दुग्ध उत्पादन के सम्बन्ध में पशुपालन सम्बन्धी विविध जानकारी दिया जाना एवं राष्ट्रीकृत बैंक एवं बीमा कम्पनी के माध्यम से दुधारू पशुओं के य हेतु ऋण के लियें प्रोजेक्ट तैयार कर सहायता प्रदान किया जाना	क्षेत्र में रोजगार की दिशा की ओर प्रेरित करने के दिशा में पशुधन प्रसार अधिकारी पशुचिकित्साधिकारियों से सहयोग लेकर ऋण की व्यवस्था करवाया जाना, स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा पशुपालन सम्बन्धी विभिन्न प्रायोजनाओ के कियान्वयन के लियें सम्पक्र किया जाना। कृषकों /पशुपालको को पशुपालन एंव कृषि सम्बन्धी जानकारी देना एवं अनुदान की व्यवस्था सुनिश्चित करनें हेतु सहभागिता की आवश्यकता हैं, इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, विभाग अध्यक्ष से आवश्यक मार्ग निर्देशन प्राप्त कर कार्यवाही करनें के उपरान्त सम्पूर्ण स्थिति सें जनता को सूचित करते हुये शासन को अवगत कराया जाना।	दुग्ध व्यवसायियों को अर्थिक सहायता देने हेतु विकास खण्ड स्तर परजनप्रतिनिधियो गणमान्य व्यक्तियों से सहयोग लेकर राष्ट्रीकृत बैंको के शाखा प्रबन्धको/बीमा कम्पनियों के व्यस्थापको तथा क्षेत्र के अर्न्तगत कार्यरत पशुचिकित्साधिकारियोंएवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा एक समन्वय समिति स्थापित किया जाना।
13	उद्यमियों के आर्थिक उत्थान के लिये भैंस पालन/मिनी डेयरी की स्थापना के सम्बन्ध मे आवश्यक जानकारी दिया जाना। दुधारू पशुओं को चारें की व्यवस्था एवं इसके उचित रखरखाव तथा पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों की जानकारी देना एवं इसके	जनता से प्राप्त शिकायतों को दूर करने हेतु एक सामन्जस्य स्थापित किया जाना पशुचिकित्साअधिकारी एवं पशुधन प्रसार अधिकारी को पशुपालन सम्बन्धी कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जानकारी लेकर इसके कियान्वयन हेतु सहभागिता की आवश्यकता है ।	जनता की भागीदारी के लियें उनसें प्राप्त होने वाली प्रस्तावों की पंजिका तैंयार कर क्षेत्र में कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारियों/पशुचिकित्साअधिकारी द्वारा दर्ज करते हुयें इस पर विधिवत एवं चरण बद्ध रूप से अमल किया जाना ।

	रोकथाम हेतु चिकित्सा सूविधा प्रदान किया जाना		
14	कृषि योग्य भूमि पर पौष्टिक आहार उत्पादन के लिये चारा प्रर्दशनी का आयोजन	क्षेत्र में पौष्टिक आहार के उत्पादन एवं चारा बीजों की उपयोगिता की जानकारी देने हेतु जनता का सहयोग एवं उनकी सहभागिता की आवश्यकता हैं ।	न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारीएवं क्षेत्र में कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारियों की एक समिति गठित की जानी आवश्यक हैं ।